न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राज.

प्रकरण संख्या 48/16 दायरा दिनांक 16.12.2016

पीठासीन अधिकारी — श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

1. कन्हैयालाल पुत्र श्रीलाल उम्र 52 वर्ष जाति किराड निवासी तेलनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. नारायणलाल पुत्र श्रीलाल उम्र 45 वर्ष जाति किराड निवासी तेलनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
3. हरिचरण पुत्र श्रीलाल उम्र 42 वर्ष जाति किराड निवासी तेलनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
4. मन्नालाल पुत्र श्रीलाल उम्र 35 वर्ष जाति किराड निवासी तेलनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
5. जामन्ती पुत्री श्रीलाल उम्र 48 वर्ष जाति किराड निवासी तेलनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
6. कलियाबाई पत्नि श्रीलाल उम्र 72 वर्ष जाति किराड निवासी तेलनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

— वादीगण

बनाम

1. गज्जू पुत्र उदयचन्द जाति किराड निवासी तेलनी तहसील शाहावाद जिला बारां
2. भगवानलाल पुत्र उदयचन्द जाति किराड निवासी तेलनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
3. नन्दकिशोर पुत्र रामजीलाल जाति किराड निवासी तेलनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
4. शान्ति उर्फ शन्ति पत्नि रामजीलाल जाति किराड निवासी तेलनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
5. गीताबाई पुत्री घासीलाल पत्नि रामकिशन जाति किराड निवासी हाल नारायणखेडा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
6. सरवदी पुत्री प्रभू पत्नि चिरोंजीलाल जाति किराड निवासी हाल केलवाडा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
7. गंगाबाई पत्नि प्रभू जाति किराड निवासी तेलनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान —फौत
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92ए,53,188 आर.टी.एक्ट 1955 एवं धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम

<u>अंतिम निर्णय दिनांक— 11.07.2024</u>

उपस्थित — वादीगण की ओर से — श्री हम[illegible] एडवोकेट
प्रतिवादी कम [illegible] 7 [illegible] से एकपक्षीय
पेरोकार सरकार — प्रतिवादी कम 8 [illegible] ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.08.28 18:16:06 IST
Reason: SelfAttested

11.07.2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

CamScanner

इस न्यायालय के प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15.03.2024 से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा संख्या 345 रकबा 21.03 बीघा ग्राम तेलनी तहसील शाहावाद में वादी क्रम 2 ता 4 को कुल हिस्सा 7/32 (अपने पिता श्रीलाल से विरासत में प्राप्त हिस्सा 3/24 + प्रतिवादी क्रम 1 से क्रयशुदा हिस्सा 3/32) का एवं वादी क्रम 1, 5 व 6 को हिस्सा 3/24 यानि 1/8 का इस प्रकार वादीगण को कुल हिस्सा 11/32 का खातेदार घोषित किया जाकर विभाजन के आदेश दिये गये थे और तहसीलदार शाहावाद को आदेश दिया गया था कि वे विवादित आराजी खाते में वादी क्रम 2 ता 4 का हिस्सा 7/32, वादी क्रम 1, 5 व 6 का हिस्सा 1/8 दर्ज करते हुये वादीगण के कुल हिस्सा 11/32 का विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुये पेश करें। विवादित आराजी खाते में प्रतिवादी क्रम 1 गज्जू का हिस्सा 1/32 के स्थान पर 1/20, प्रतिवादी क्रम 2 भगवानलाल का हिस्सा 3/32 के स्थान पर 9/160, प्रतिवादी क्रम 3 व 4 नन्दकिशोर व शान्ति का हिस्सा 1/8 के स्थान पर 1/20, प्रतिवादी क्रम 5 गीताबाई का हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी क्रम 6 सरवदी का हिस्सा 1/4 दर्ज कर विवादित आराजी खाते को दुरूस्त करें, जिसकी पालना में तहसीलदार शाहावाद द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया, जिसे स्वीकार किया जाता है और विभाजन प्रस्ताव अनुसार प्रथम खाता नारायणलाल हरिचरण मन्नालाल पुत्र श्रीलाल हि. 92/145 कन्हैयालाल पुत्र जामन्ती पुत्री कलियाबाई पत्नि श्रीलाल हि. 53/145 जाति किराड निवासी तेलनी तहसील शाहावाद ख.नं. 345/1 रकबा 7.05 बीघा किस्म डांडा लगान 0.725 तथा द्वितीय खाता गज्जू पुत्र उदयचन्द हि. 21/278 भगवानलाल पुत्र उदयचन्द हि. 12/139 नंदकिशोर पुत्र शान्ति उर्फ शन्ती पत्नि रामजीलाल हि. 21/278 गीताबाई पुत्री घासीलाल हि. 53/139 सरवदी पुत्री प्रभू हि. 53/139 जाति किराड निवासी तेलनी तहसील शाहावाद ख. नं. 345 रकबा 13.18 बीघा किस्म डांडा लगान 1.39 दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं तथा संलग्न विभाजन प्रस्ताव नजरी नक्शा अनुसार नक्शा तरमीम करने बावत आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

11.07.2024

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.08.28 18:16:06 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner